



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 18.03.2023

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा लावारिस अवस्था में घूमती मिली बच्चियों के परिजनों को ढूंढकर किया बच्चियों को किया परिजनों के सुपुर्द।

घटनाक्रम का विवरण -- दिनांक 17.03.2023 को थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत शाहबेरी क्षेत्र में 02 बच्चिया जिनकी उम्र क्रमशः 5 वर्ष व 2.5 वर्ष थी, के लावारिस अवस्था में घूमने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुयी। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा बच्चियों को को अपने साथ लेकर परिजनों को तलाश किया जाने लगा। अथक प्रयास के बाद बच्चियों के परिजनों को ढूंढकर दोनो बच्चियों को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 बैट्री बरामद।

घटनाक्रम का विवरण -- दिनांक 17.03.2023 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 चोर 1.ससवेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र निवासी-ग्राम गंगापुर, थाना चौबिया, जनपद इटावा 2.सचिन पुत्र प्रमोद निवासी-ग्राम रानीपुर, थाना फफूंद, जनपद औरैया को थाना क्षेत्र के मलकपुर गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 बैट्री बरामद की गई है। अभियुक्तों द्वारा मिलकर उपरोक्त बरामदशुदा बैट्री को सिरसा गोलचक्कर, कासना के पास खडी एस0आई0बी कम्पनी की एक गाड़ी से चोरी किया गया था जिसके सम्बंध में थाना कासना, ग्रेटर नोएडा पर मु0अ0सं0 63/2023 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. ससवेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र निवासी-ग्राम गंगापुर, थाना चौबिया, जनपद इटावा।
2. सचिन पुत्र प्रमोद निवासी-ग्राम रानीपुर, थाना फफूंद, जनपद औरैया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु.अ.सं. 063/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

चोरी की 02 बैट्री।

3. थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोहा चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 01 लोहे का चैनल लम्बाई करीब 6-7 फीट व 09 कलम्प लोहे के बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 18.03.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोहा चोरी करने वाले 02 चोर 1.छत्रपाल पुत्र श्री हनीमन्त निवासी ग्राम कडका, थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद, उ0प्र0 2.सत्यदेव पुत्र जयदेव निवासी मौहल्ला लौदान, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर को थाना क्षेत्र के मै0 कैपिटल इन्फ्राटैक होम्स प्रा0लि0, प्लाट नं0 जी एच 12 ए/2 सेक्टर-1 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चैनल लम्बाई 6-7 फीट व 09 कलम्प लोहे के बरामद हुए हैं। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 207/2023 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. छत्रपाल पुत्र श्री हनीमन्त निवासी ग्राम कडका, थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद, उ0प्र0।
2. सत्यदेव पुत्र जयदेव निवासी मौहल्ला लौदान, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 207/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

अभियुक्तों के कब्जे से चैनल लम्बाई 6-7 फीट व 09 कलम्प लोहे के बरामद।